भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
(दीपम)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 954
सोमवार 10 फरवरी, 2025
21 माघ, 1946 (शक)

आईडीबीआई बैंक का निजीकरण

954. **डॉ.टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या सरकार ने उक्त बैंक के निजीकरण से वर्तमान में बैंक में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का विशिष्ट मूल्यांकन किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार की आईडीबीआई कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित निजीकरण के प्रभावों पर चर्चा करने की कोई योजना है; और
(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को आरबीआई द्वारा दिनांक 21.01.2019 के प्रभाव से एक निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान में, भारत सरकार (जीओआई) की आईडीबीआई बैंक में शेयरधारिता 45.48% और एलआईसी में शेयरधारिता 49.24% है।

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश करने के लिए मई 2021 में सीसीईए (आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति) के अनुमोदन के अनुसरण में, प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश करने के लिए 60.72% आईडीबीआई बैंक इक्विटी की पेशकश की जा रही है, जिसमें भारत सरकार 30.48% की पेशकश कर रही है (बिक्री के पश्चात भारत सरकार की अधिशेष इक्विटी 15% हो जाएगी) और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) विनिवेश के लिए 30.24% इक्विटी की पेशकश कर रही है (बिक्री के पश्चात एलआईसी की अधिशेष इक्विटी 19% हो जाएगी)।

संभावित बोलीदाताओं से रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने के लिए दिनांक 7 अक्तूबर, 2022 को प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) प्रकाशित किया गया था। पीआईएम पर प्रतिक्रिया के रूप में बहु रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्राप्त हुए थे। गृह कार्य मंत्रालय (एमएचए) द्वारा सुरक्षा अनापत्ति और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा सही और उचित मूल्यांकन के बाद, अहर्ता प्राप्त बोलीदाताओं द्वारा उचित उद्यमिता की जा रही है।

रणनीतिक बिक्री के निबंधन और शर्तें निर्धारित करते समय, मौजूदा कर्मचारियों और अन्य शेयरधारकों की वैध चिंताओं को शेयर खरीद करार (एसपीए) में किए गए उचित प्रावधानों के माध्यम से उचित रूप से संबोधित किया जाता है।

****